निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीना आर.ए.एस.
उप खण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां प्रा. अध्यासित

प्रकरण सं. 5/19 प्रा.पत्र

दायरा दिनांक :- 19.6.19

निर्णय दिनांक :- 30.7.19

उनवान

बृजमोहन पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी पछाड़ हाल निवासी ग्राम हनोवड़ा शाहजी तह0 छीपाबड़ौद

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR act

निर्णय दिनांक :- 30.7.19

अभिभावक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR act विरुद्ध अप्रार्थी गण के नाम से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पछाड़ तह0 छीपाबड़ौद के ख.नं. 350 रकबा 5.17 बीघा स्थित है जिसके जमाबंदी में लाला पुत्र भैरा जाति धाकड़ अंकित है इनके लाला ला-औलाद फौत हुए थे जिनके न पत्नी थी और ना ही बच्चे थे तथा उन्होंने उनके जीवन काल में पूरे परिवार की सहमति से प्रार्थी को गोद लिया था तथा हमेशा से उनकी सेवा व अन्य सभी कार्य प्रार्थी द्वारा किया गया। एवं मृत्यु पर्यन्त अन्तिम संस्कार व सभी कार्य भी सम्पन्न किये। इनके लालजी राम पुत्र भैरूलाल - प्रत्येक दस्तावेज में मौजूद है लेकिन जमाबंदी में लाला पुत्र भैरा गलत दर्ज हो गया है जिसे प्रार्थी दुरुस्त कर लालजीराम

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

पुत्र अमरलाल जाति धाकड़ दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अर्जी की जाँच प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी द्वारा स्वयं पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड़ सम्वत 2071-74 खाता सं. 312, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो प्रति - पहचान पत्र, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र तहसीलदार छीपाबड़ौद को इन्तकाल खोलने बाबत पेश किया, फोटो प्रति पटवारी हल्का हरि हरनावदाशाहजी दिनांक 26.3.19 पेश की गई। शपथ पत्र - प्रेमलताबाई, राजेश्वरीबाई पेश किये गये। तथा प्रार्थी ने - कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल, मांगीलाल पुत्र जगलाल के शपथ पत्र पेश हुए।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम पछाड़ में स्थित है जो लालजीराम पुत्र अमरलाल के खातेदारी की है लालजीराम लाओलाद फौत हो चुका है। लालजीराम ने इस परिवार की सहमति से प्रार्थी को गोद लिया था। लालजीराम का अभी दस्तावेजों में लालजीराम पुत्र अमरलाल दर्ज है परन्तु जमाबन्दी में लाला पुत्र अमरा गलत दर्ज कर दिया है जबकि सही नाम लालजीराम पुत्र अमरलाल है जिसे दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड़ सम्वत 2071-74 खाता सं. 312 के अनुसार लाला पुत्र अमरा कौम धाकड़ नाम दर्ज है फोटो प्रति पहचान पत्र में लालजीराम पुत्र अमरलाल, आधार कार्ड में व राशन कार्ड में भी लालजीराम पुत्र अमरलाल अंकित है मृत्यु प्रमाण पत्र में भी लालजीराम पुत्र अमरलाल दर्ज है हल्का पटवारी हरनावदाशाहजी

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

लगातार - 3

Scanned by CamScanner

की रिपोर्ट दिनांक 26.3.19 के अनुसार लालजीराम पुत्र आमालाल के वारिसान की जांच करने पर उक्त वादीपत्र द्वारा लालजीराम पुत्र आमालाल अविवाहित (लावारिस) फौत होना बताया है उसके कोई भाई इनके कारगलाल पुत्र आमालाल होना बताया है उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके लालजीराम पुत्र आमालाल का सही नाम लालजीराम पुत्र आमालाल है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लाला पुत्र अमरा दर्ज कर दिया गया है तथा अर्जी में कन्हैयालाल व मांगीलाल ने शपथ बयानों में इनके लालजीराम पुत्र आमालाल सही नाम होना बताया है अर्जी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अर्जी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR act स्वीकार किया जाकर है विवादित आराजी वाके ग्राम पछाड़ तह० छीपाबड़ौद के खाता सं. 312 के ख.नं. 350 रकबा 5.07 बीघा में लाला पुत्र अमरा के स्थान पर लाला उर्फ लालजीराम पुत्र अमरा उर्फ आमालाल दुरुस्त करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को ~~लिखे जाते~~ है आदेशित किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील वसूलीय के दाखिल दफ्तर हो

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.08.09 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: